न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—श्री पवन कुमार(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं—39 / 2002

बिशनालाल पुत्र श्री बुड़ाराम जाति अरोड़ा निवासी चक—80 जीबी तहसील अनूपगढ
जिला—श्रीगंगानगर। —वादी

बनाम्

1—भानीराम पुत्र खीलाराम जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ।
2—जयदेवी पत्नी सोहनलाल पुत्री खीलाराम जाति अरोड़ा निवासी घमुड़वाली तहसील पदमपुर जिला—श्रीगंगानगर।
3—बिमला पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्री खीलाराम जाति अरोड़ा निवासी बीकानेर।
4—उषा पत्नी मोहनलाल पुत्री खीलाराम जाति अरोड़ा निवासी उदयपुर (सुरतगढ) जिला—श्रीगंगानगर।
5—लज्जोदेवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्री खीलाराम जाति अरोड़ा निवासी बिरधवाल (सुरतगढ)
6—केसरीचंद पुत्र खीलाराम जाति अरोड़ा निवासी—3 ई शकंर कॉलोनी श्रीगंगानगर।
7—हुकमचंद पुत्र खीलाराम जाति अरोड़ा निवासी बनवाली सादुलशहर जिला—श्रीगंगानगर।
8—धर्मेन्द्र चुघ पुत्र खीलाराम जाति अरोड़ा निवासी 1 / 30 हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी श्रीगंगानगर
9—कृष्णा मिढ्ढा पुत्री निबाहुराम पत्नी तीर्थदास जाति अरोड़ा निवासी बीकानेर।
10—कमला पुत्री निबाहुराम पत्नी धर्मचन्द जाति अरोड़ा निवासी रायसिंहनगर।
11—राजकुमारी पुत्री निबाहुराम पत्नी काशीराम अरोड़ा उदयपुर
12—गोरी शंकर पुत्र निबाहुराम जाति अरोड़ा निवासी जयपुर।
13—रामदेव पुत्र निबाहुराम अध्यापक बीरमाना तहसील सुरतगढ
14—भारतभूषण पुत्र निबाहुराम जाति अरोड़ा निवासी 50 जी ब्लॉक श्रीगंगानगर।
15—अलकादेवी पुत्री निबाहुराम पत्नी राजेन्द्र जाति अरोड़ा निवासी रायसिंहनगर।
16—बबली पुत्री निबाहुराम पत्नी सुभाषचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी 50 जी ब्लॉक श्रीगंगानगर
17—भजनलाल पुत्र खीलाराम जाति अरोड़ा निवासी बीकानेर।
18—दुर्गादेवी पुत्री बुड़ाराम पत्नी जयमलराम जाति अरोड़ा निवासी बीझंबायला(पदमपुर)
19—इन्द्रोदेवी पुत्री बुड़ाराम पत्नी बिहारीलाल जाति अरोड़ा निवासी प्रेमनगर (हनुमानगढ़)
20—स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार(राजस्व) अनूपगढ।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा—88,53आर.टी.एक्ट

::संशोधित निर्णय:: दिनांक—07.10.2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि—वादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा—152 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी बिशनलाल द्वारा

Scanned with CamScanner

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि–वादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–152 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी बिशनलाल द्वारा न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अनवान बिशनलाल बनाम् भानीराम आदि पेश करके कृषि भूमि वाके चक– 80 जीबी तहसील अनूपगढ का पत्थर सं–291/436 का किला नं–1,10,11,20,21 का वसीयत के अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। न्यायालय द्वारा उक्त अनवानी प्रकरण के वाद पत्र का निर्णय दिनांक 27–9–2011 को करते समय निर्णय मे सहवन से लिपिकीय भुलवश पत्थर सं–291/436 के स्थान पर 281/436 दर्ज हो गया है। निर्णय दिनांक 27–9–2011 में पत्थर सं–291/436 के स्थान पर पत्थर सं–281/436 दर्ज होने से प्रार्थी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी निर्णय दिनांक 27–9–2011 में संशोधन करवाना चाहता है। लेकिन निर्णय दिनांक 27–9–2011 में लिपिकीय भूलवश सहवन से पत्थर सं–291/436 के स्थान पर पत्थर सं–281/436 दर्ज हो गया है तथा पत्रावली मे प्रस्तुत अन्य दस्तावेज राजस्व रिकार्ड आदि में भी पत्थर सं–291/436 दर्ज है। इसलिए निर्णय दिनांक 27–9–2011 में पत्थर संख्या को दुरूस्त किया जाकर संशोधित निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–152 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार योग्य होने के कारण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27–09–2011 में दर्ज पत्थर सं–281/436 के स्थान पर पत्थर सं–291/436 एतद् द्वारा संशोधित किया जाता है। संशोधित निर्णय मूल निर्णय दिनांक 27–9–2011 का भाग रहेगा।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner